तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **मोहम्मद असलम् बनाम लो.सू.अ.(ए.डी.एम.प्रथम जोधपुर)** सू.अ.अ. अपील संख्या 191/2022	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06-07-2022	अपीलार्थी मोहम्मद असलम निवासी सिलावटों का बास, पीपाड़सीटी, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 27.11.2021 में (1) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के एकोर्डिंग आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत कोविड 19 से मृत्यु होने वाले मरीज की परिजनों को जो अनुदान मिलती है उसके लिए क्या कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट आवश्यक है व अन्य बिन्दु , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने पर उनकी मूल पत्रावली मंगवाई गई। लोक सूचना अधिकारी की मूल पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि इसी अपील संबंधी सूचना पूर्व में अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये पत्रांक 41 दिनांक 06.0122 द्वारा 17 पृष्ठीय सूचना प्रेषित की जा चुकी है तथा पूर्व अपील सं0 16/22 निरस्त हो चुकी ळै अतः यह अपील सारहीन होने से निरस्त योग्य है जो निरस्त की जाती है। आदेश सनाया गया।	